(136)

[Authoritative English Text of this Department Notification No. Per (AR) F (7)-2/98.Vol.I dated 31-12-2007 as required under Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
ADMINISTRATRIVE REFORMS ORGANIZATION

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 27 of the Right to Information Act, 2005, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Right to Information Rules, 2006, notified vide this Department notification No.Per (AR) F (7)-2/98.Vol.I dated 21st January 2006 and published in the Rajpatra, Himachal Pradesh (Extraordinary) dated 21.2.2006, namely: -

Short title — 1. These rules may be called the Himachal Pradesh Right to Information (3rd Amendment) Rules, 2007.

Amendment of rule 3 — 2. In rule 3 of the Himachal Pradesh Right to Information Rules, 2006 (hereinafter referred to as the "said rules"), after sub-rule (1), the following proviso shall be inserted, namely: -

"Provided that the information shall not be refused on the grounds that the application is not in the prescribed form if the necessary particulars have been mentioned by the applicant by a request made in writing".

Amendment of rule 4 — 3. In rule 4 of the said rules, after sub-rule (1), the following proviso shall be inserted, namely: -

"Provided that the information shall not be refused on the grounds that the application is not in the prescribed form if the necessary particulars have been mentioned by the applicant by a request made in writing".

Amendment of rule 5 — 4. In rule 5 of the said rules, in sub-rule (1), in item No.

5. for the figures "10" and "15" the figures "20" and "30" respectively shall be substituted.

Amendment of rule 6 — 5. In rule 6 of the said rules,

(i) in sub-rule (2), for the word "four", the word "two" shall be substituted; and

(ii) (ii) in sub-rule (3), clause (ii) shall be deleted and the existing clauses (iii) and (iv) shall be re-numbered as clauses (ii) and (iii) respectively.

By Order

S.Vijay Kumar
Principal Secretary (AR) to the
Government of Himachal Pradesh.

No. File No. Per (AR) F (7)-2/98.Vol.I Dated Shimla-171002, the 31st December, 2007

Copy forwarded to:-

1. The Secretary to the Governor, Himachal Pradesh, Shimla-171002.
2. The Sr. Private Secretary to the Chief Secretary to the Government of Himachal Pradesh, Shimla-171002.
3. The Principal Secretary to the Hon'ble Chief Minister, Himachal Prades[illegible].
4. All the Administrative Secretaries to the Government of Himachal Prad[illegible]h.
5. All the Heads of Departments in Himachal Pradesh.
6. All the Deputy Commissioners in Himachal Pradesh.
7. All the Divisional Commissioners in Himachal Pradesh.
8. The Controller, Printing and Stationary, Himachal Pradesh, Shimla-171005 for publication in the official gazette (extraordinary). He is requested to send 200 copies of the same to this Department immediately.
9. The Principal Secretary (GAD) to the Government of Himachal Pradesh, Shimla-171002.

Additional Secretary (AR) to the
Government of Himachal Pradesh.

हिमाचल प्रदेश सरकार
प्रशासनिक सुधार संगठन

संख्याः पी.ई.आर.(ए.आर.) एफ.(7)–2/98–वॉल–1 तारीख शिमला–2 31 दिसम्बर, 2007

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 27 की उप धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस विभाग की अधिसूचना संख्याः पर (ए.आर.) एफ.(7)–2/98–वॉल–1, तारीख 21 जनवरी, 2006 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में तारीख 21–2–2006 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश सूचना का अधिकार नियम, 2006 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ — 1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सूचना का अधिकार (तृतीय संशोधन) नियम, 2007 है।

नियम 3 का संशोधन — 2. हिमाचल प्रदेश सूचना का अधिकार नियम, 2006 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है), के उप नियम (1) के पश्चात निम्नलिखित परन्तुक अन्तः स्थापित किया जाएगा,

"परन्तु यह कि यदि आवेदक द्वारा लिखित रूप से किए गए अनुरोध में आवश्यक विशिष्टियां दी गई हो तो सूचना के लिए इस आधार पर इन्कार नहीं किया जाएगा कि आवेदन निर्धारित प्रपत्र पर नहीं है"।

नियम 4 का संशोधन — 3. उक्त नियमों के नियम 4 के उप नियम (1) के पश्चात निम्नलिखित परन्तुक अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थातः–

"परन्तु यह कि यदि आवेदक द्वारा लिखित रूप से किए गए अनुरोध में आवश्यक विशिष्टियां दी गई हों तो सूचना के लिए इस आधार पर इन्कार नहीं किया जाएगा कि आवेदन निर्धारित प्रपत्र पर नहीं है"।

नियम 5 का संशोधन — 4. उक्त नियमों के नियम 5 के उप नियम(1) में मद सं. 5 में अंक "10" व "15" के स्थान पर अंक कमशः "20" व "30" रखा जाएगा।

नियम 6 का संशोधन — 5. उक्त नियमों के नियम 6 में,

(i) उप नियम (2) में शब्द "चार" के स्थान पर शब्द "दो" रखा जाएगा, और

(ii) उप नियम (3) में खण्ड (ii) का लोप किया जाएगा और विद्यमान खण्डों (iii) और (iv) को कमशः खण्ड (ii) और (iii) के

135

रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा "।

आदेश द्वारा,

एस.विजय कुमार
प्रधान सचिव (प्रशासनिक सुधार)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृष्ठांकन संख्याः पी.ई.आर.(ए.आर.) एफ.(7)–2/98–वॉल–1 तारीख शिमला–2 31 दिसम्बर,, 2007

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित की जाती है:–

1. सचिव, राज्यपाल, हि0प्र0 शिमला–2.
2. वरिष्ठ निजी सचिव, मुख्य सचिव, हि0 प्र0 शिमला–2
3. प्रधान सचिव मुख्यमंत्री, हि0प्र0 शिमला–2
4. समस्त प्रशासनिक सचिव, हि0प्र0 सरकार शिमला–2
5. समस्त विभागाध्यक्ष, हि0प्र0।
6. समस्त मण्डलायुक्त, हि0प्र0।
7. समस्त उपायुक्त, हि0प्र0।
8. नियन्त्रक मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग हि0प्र0 शिमला–5 से अनुरोध है कि वह कृपया इस अधिसूचना को असाधारण राजपत्र में प्रकाशित करने की कृपा करें तथा उक्त प्रकाशित अधिसूचना की 200 मुद्रित प्रतियां इस विभाग को भेजने की कृपा करें।
9. सचिव सामान्य प्रशासन विभाग हि.प्र. सरकार शिमला–2
10. सहायक विधि परामर्शी एवं अवर सचिव विधि हि.प्र. सरकार।
11. वरिष्ठ विधि अधिकारी राजभाषा खण्ड विधि विभाग हि.प्र. सचिवालय शिमला–2.

एस. एस. एलेरिया

अतिरिक्त सचिव,
(प्रशासनिक सुधार संगठन)
हिमाचल प्रदेश सरकार।